न्यायालयः—द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी जिला धार म.प्र.

(समक्ष— संजय कुमार गुप्ता)

बी.ए.नं.—115 / 2020
CIS B.A.N0. 115/2020
Filng N0. 765 /2020
CNR N0. MP11090009692020

1— रामसिह पिता बुटीया, जाति—भील, उम्र—48 वर्ष,
2— मंगु पिता सुखलिया, जाति भील, उम्र—30 वर्ष, दोनों का धंधा—खेती व मजदूरी, निवासी—अम्बापुरा, तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र.।

..........आरोपीगण / आवेदकगण

वि रू द्ध

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र टाण्डा

..........अनावेदक

(आदेश)

05.08.2020 आवेदकगण रामसिंह व मंगु की ओर से श्री दिनेशचंद्र पाटीदार अधिवक्ता वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित।

शासन द्वारा श्री आर.के. गुप्ता, अपर लोक अभियोजक वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

अधिवक्ता श्री दिनेशचंद्र पाटीदार ने आवेदकगण की ओर से **प्रथम जमानत आवेदन पत्र** अंतर्गत धारा **439** द.प्र.सं. का आवेदक रामसिह के पुत्र दशरथ पिता रामसिह, जाति—भील, उम्र 22 वर्ष, धंधा—मजदूरी निवासी ग्राम अम्बापुरा तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र. के शपथ पत्र पर पेश किया गया। शपथ पत्र के आधार पर यह प्रथम जमानत आवेदन होना तथा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं होना प्रकट होता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी, कुक्षी के न्यायालय से मामले से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली अपराध **क्रमाँक 93 / 2020** अन्तर्गत धारा **395, 397** भा.द.सं. एवं 25, 27 आयुध अधिनियम की प्राप्त तथा आरक्षी केन्द्र टाण्डा से केस डायरी मय प्रतिवेदन के ई—मेल के माध्यम से पी.डी.एफ. के माध्यम से प्राप्त है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से श्री दिनेशचंद्र पाटीदार अधिवक्ता ने अपने आवेदन में निवेदन किया कि इस आवेदन के अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष न तो आवेदन पेश किया है और न ही विचाराधीन है। आवेदकगण/आरोपीगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है और किसी अपराध से उनका कोई संबंध भी नहीं है। प्रकरण के निराकरण में अनिश्चितकालीन समय लगने की संभावना होकर आरोपीगण ग्राम अम्बापुरा, तहसील कुक्षी जिला धार के स्थाई निवासी होकर आरोपीगण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति तथा कुटुम्ब परिवार न्यायालय के सीमा क्षेत्र में स्थित होने से आरोपीगण के भागने व फरार होने की संभावना भी नहीं है। वर्तमान में सीजन कृषि कार्य का महत्व का चल रहा होकर खेतों में फसले खडी है, जिनकी उचित रूप से देखभाल एवं निंदाई, गुडाई करने व कोलपे नहीं चलाने के अभाव में खडी फसलें नष्ट हो जावेगी और इस असर उत्पादन पर पडेगा और आरोपीगण को परिवार व बच्चे भूखों मर जावेगें। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक श्री आर.के.गुप्ता ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुये जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनाँक 20.05.2020 को फरियादी रतनसिह ने थाना टाण्डा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम डोबनी पंचायतपुरा में रहा है और खेती करता है। उसका लडका नगरसिह गुजरात में मजदूरी करने गया था, जो आम्बापुरा के अब्दुल पिता मडिया भील की लडकी को भगाकर ले गया, ऐसा आज उसे अब्दुल के जवाई बिजु भील निवासी बडकच्छ ने फोन पर बताया था तो उसने लडका, लडकी ढूंढकर लडकी को देने की बात या झगडा तोडने की बात बताई थी, इस बात को लेकर आज दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच ग्राम आम्बापुरा का अब्दुल पिता मडिया भील, कालु पिता अब्दुल भील, पारू पिता सुकल्या भील, रंगु पिता सुकल्या भील, भुरू पिता सुकल्या भील, जबरसिह पिता जालम भील, ननुरसिह पिता जालम भील, रामसिह पिता ढुढिया भील निवासीगण आम्बापुरा तथा आलम पिता फकरिया, फकरिया पिता गुलु, शंकर पिता जुवानसिह, हसु पिता इंदरसिह, भंगु पिता सागवन, निवासी होलीबयडा, नानकिया पिता झिणीया निवासी भुतिया आदि अन्य अज्ञात 15–20 बदमाशों के साथ तीर कामठी, बन्दूक, देशी कटटा, लट्ठ, गोफन लेकर कुर्राटी मारते हुए कट्टे से फायर करते

हुए आये तो वह तथा उसका भाई रणसिह व काका बाबा के लडके बियानसिह, आलमसिह आदि सभी बाहर निकले तो उन्हें देखकर उन बदमाशों ने फायर किया तो वे डर के मारे भाग गये गये। उक्त बदमाश उसके घर से 8–10 मुर्गा, मुर्गी तथा भाई रणसिह के घर से 8 बकरा, बकरी, बियानसिह के घर से 15 बकरी छोटी बडी तथा आलमसिह के घर से 4 बकरी 1 बकरा कुल किमती 15–20 हजार रूपये का लूट कर भाग गये। उन्होंने बाहर जाकर चिल्लाया तो आसपास व गॉव के लोग दौडकर आये तथा पुलिस को मोबाईल से सूचना दी। पुलिस आने पर सभी लोग बदमाशों का पीछा करते हुए आम्बापुरा जंगल तरफ गये थे। घटना उसने, रणसिह, तेनसिह, उदन, जुवानसिह आदि ने देखी, सुनी है।

उक्त आधार पर अभियुक्तगण व अन्य आरोपीगण के विरूद्ध **थाना टाण्डा** पर अपराध क्रमॉक **93/2020** अंतर्गत धारा **395, 397 भा.द.सं. एवं 25, 27 आयुध अधिनियम** का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवेदकगण/आरोपीगण दिनांक **27.05.2020** से न्यायिक अभिरक्षा में है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा जिस प्रकार अन्य 15–20 आरोपीगण के साथ एकमत होकर हथियारों से लेस होकर फायर करते हुए लूटपाट करते हुए डकैती कारित करना प्रकट होता है, उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों में आवेदकगण रामसिह व मंगु की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **439** द.प्र.सं. का **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सहित संबंधित न्यायालय की मूल अभिलेख वापस किया जावें।

प्रपत्र अभिलेखागार कुक्षी भिजवाया जावें।

Sd/-
(संजय कुमार गुप्ता)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी
जिला धार म.प्र.